संoसंo–मoनिo–II–उoयोo–98 / 2022–23.....32 राoविo

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पीo, (भाoप्रoसेo)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची, दिनांक 19.12.22

विषय– **राज्य योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना का द्वितीय चरण में कुल मो0 90.8325 लाख (नब्बे लाख तिरासी हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृति एवं व्यय के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना अन्तर्गत केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् विभिन्न मदों में प्राप्त बजट उपबंध में से जीर्णोद्धार मद में उपलब्ध बजट के अधीन केज रिमॉडलिंग हेतु कुल मो0 90.8325 लाख (नब्बे लाख तिरासी हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र की लागत पर योजना के कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु मो0 800.00 लाख (आठ करोड़) रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है तथा इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।
3. विभागीय राज्यादेश संख्या–08 राo (विo) दिनांक 15.06.2022 द्वारा केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत बजट शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना में उक्त उपबंधित राशि में से मोo 702.298 लाख रुo (सात करोड़ दो लाख उनतीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।
4. योजनान्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत राशि मो0 90.8325 लाख (नब्बे लाख तिरासी हजार दो सौ पचास) रुपये का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा :–

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण योजना

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	लघु शीर्ष / विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010166010323**	308.00	303.684	0.00	4.316
2	101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050010166010544**	42.00	0.00	41.2875	0.7125
	उप योगः	350.00	303.684	41.2875	5.0285

3	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23– आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078966010323**	91.00	90.778	0.00	0.222
4	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44 –जीर्णोद्धार **53S24050078966010544**	9.00	0.00	8.2575	0.7425
	उप योगः	100.00	90.778	8.2575	0.9645
5	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079666010323**	308.00	307.836	0.00	0.164
6	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079666010544**	42.00	0.00	41.2875	0.7125
	उप योगः	350.00	307.836	41.2875	0.8765
	कुल योगः	800.00	702.298	90.8325	6.8695

कुल मो0 90.8325 लाख (नब्बे लाख तिरासी हजार दो सौ पचास) रुपये मात्र।

5. प्राकृतिक आपदा, स्थानीय चक्रवात, क्रॉप कैश के कारण लाभुकों/धारक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के टूटे केज की रिमॉडलिंग हेतु यह राशि स्वीकृत की गई है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने चार केज–एक बैटरी मॉडल/दो केज–एक बैटरी मॉडल/एक केज–एक बैटरी मॉडल के एक केज–एक बैटरी में रिमॉडलिंग के मो0 1,83,500/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध केज रिमॉडलिंग की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु समाचार पत्रों में "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुए केज रिमॉडलिंग का न्यूनतम दर निर्धारित किया जाएगा तथा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया जायेगा।
8. केज रिमॉडलिंग कार्य लाभुक/धारक समिति द्वारा उपर्युक्त कंडिका 6 के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्यादेश संख्या–08 रा० (वि०) दिनांक 15.06.2022 द्वारा इस योजना अंतर्गत केज अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत अनुदान के समान ही केज रिमॉडलिंग हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित दर एवं मो0 1,83,500/– रु0 मात्र में जो कम होगी उसी पर 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक/धारक समिति का अंशदान होगा। जलाशयों के विस्थापितों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज रिमॉडलिंग में भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
10. केज रिमॉडलिंग उपरांत किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा आवश्यक अनुदान की राशि प्राप्त आवंटन के विरुद्ध कार्य एजेन्सियों को भुगतान की जायेगी।
11. केज रिमॉडलिंग हेतु लाभुक पूर्व में केज धारक अथवा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो। मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है। लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो। चार केज–एक बैटरी मॉडल अथवा दो केज–एक बैटरी मॉडल में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं। जलाशयों के विस्थापित केज धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

12. केज रिमॉडलिंग के लिए इच्छुक लाभुक/धारक समिति जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुकों के साथ करेंगे।

13. मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिमॉडलिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ्स (Latitude – Longitude सहित), रिमॉडलिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची, मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या तथा रिमॉडलिंग के उपरांत फोटोग्राफ एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य संपादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिमॉडलिंग में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

14. योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

    निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा एवं निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से रैंडम निरीक्षण कराया जाएगा।

15. क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस कार्य हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्ही कार्यों में किया जाय।

16. जिलावार/लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–I** के रूप में संलग्न है।

17. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग तथा बोकारो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ तथा कोडरमा होंगे जो **परिशिष्ट–I** में जिलावार अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

18. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

19. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

20. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

21. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 600.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 599.94 लाख रु0) मात्र में से मो0 567.87 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

22. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

23. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

24. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
25. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
26. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
27. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
28. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–......32 रा०वि०...... /रॉची, दिनांक....19.12.22....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–......32 रा०वि०...... /रॉची, दिनांक....19.12.22....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–......32 रा०वि०...... /रॉची, दिनांक..........

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–66–केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् जलाशयों के केजों के रिमॉडलिंग का भौतिक (केज बैटरी) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन		लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		मौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	मौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	मौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
		विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सरायकेला	0	0.0000	5	8.2575	25	41.2875	**30**	**49.5450**
2	हजारीबाग	5	8.2575	0	0.0000	0	0.0000	**5**	**8.2575**
3	कोडरमा	10	16.5150	0	0.0000	0	0.0000	**10**	**16.5150**
4	बोकारो	10	16.5150	0	0.0000	0	0.0000	**10**	**16.5150**
	कुल	**25**	**41.2875**	**5**	**8.2575**	**25**	**41.2875**	**55**	**90.8325**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

मो0 नब्बे लाख तिरासी हजार दो सौ पचास रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव